(2)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-274RAAJodhpur2024-143RTA225 Fusaram ors Vs Himataram etc

01. फुसाराम पुत्र श्री किशनाराम
02. पपाराम पुत्र श्री किशनाराम
03. मदनलाल पुत्र श्री किशनाराम
04. राजेन्द्र पुत्र श्री किशनाराम
05. मोहनलाल पुत्र श्री किशनाराम
06. शिंवरी देवी पुत्री श्री किशनाराम
07. हीरादेवी पत्नी श्री किशनाराम
08. समदु देवी पत्नी श्री मुकनाराम
09. अनिल पुत्र श्री मुकनाराम
10. सुनिल पुत्र श्री मुकनाराम
11. भजनलाल पुत्र श्री मुकनाराम
12. इन्द्रादेवी पुत्री श्री मुकनाराम
13. भंवरीदेवी पुत्री श्री मुकनाराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम धवा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हिमताराम पुत्र स्व. श्री छोगाराम
2. धर्माराम पुत्र स्व. श्री छोगाराम
3. ओमाराम पुत्र स्व. श्री छोगाराम
4. वालुराम पुत्र स्व. श्री छोगाराम
5. केलकी पुत्री स्व. श्री छोगाराम
6. स्वरूपी पुत्री स्व. श्री छोगाराम
7. किशनाराम पुत्र श्री देदाराम
8. भारमलराम पुत्र श्री देदाराम
9. तेजाराम पुत्र श्री देदाराम
10. पदमाराम पुत्र श्री भागीरथराम
11. सुरताराम पुत्र श्री भागीरथराम
12. शिवलाल पुत्र श्री भागीरथराम
13. वीराराम पुत्र श्री भागीरथराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम मेलबा,
तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
14. हरिराम पुत्र श्री हमीरराम
15. फगाराम पुत्र श्री हमीरराम
16. भीकाराम पुत्र श्री हमीरराम
तीनों जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम डोली कला,
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2021 हिमताराम व अन्य बनाम जींया इत्यादि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2021 हिमताराम व अन्य बनाम जींया इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 225 रकबा 144 बीघा ग्राम मेलबा में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 221 एवं खसरा नं. 222 की माठ के सहारे-सहारे सलंग्न नक्शा अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी. 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जुलाई 2024 के जरिये <u>प्रार्थीगण/रेस्पो</u> संख्या एक से तेरह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा मौका फर्द पर दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई आदेश पारित किये बिना सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स की भूमि में रास्ते का आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब एकतरफा मौका फर्द में प्रत्यर्थी संख्या एक से तेरह का आवागमन खसरा नं. 222 में सें बताया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह के आवागमन हेतु खसरा नं. 222 में सें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। धारा 251-ए अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के नियम (1) के अनिवार्य प्रावधानों की पालना में मौका फर्द तैयारी के वक्त अपीलार्थीगण को सूचित ही नहीं किया तथा न ही मौका फर्द मौके पर आकर तैयार की गई है, बल्कि भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धवा द्वारा कार्यालय में बैठकर मौका फर्द तैयार की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द क आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते वक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10 जुलाई 2024 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे तथा प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए का खारिज किया किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2019(2)आर. आर.टी. पेज 1507, 2019(2)आर.आर.टी. पेज 403 की न्यायिक नजीरे तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1995 के नियम 68 से 70 की प्रति पेश की। की न्यायिक नजीरे पेश की गई।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. पक्ष की ओर से मौका फर्द पर प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अपील में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। मौका फर्द में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन रास्ते को बंद कर दिया है। अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस संबंध में निवेदन है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि है, जो रकबा अनुसार निर्धारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द पर प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान परिशीलन किया गया। मौका फर्द दिनांक 28.06.2022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह के खातेदारी खसरा नं. 225 में आवागमन में अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटम रास्ता बताया गया है। में रेस्पो. संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को वैकल्पिक रास्ता बताया गया है जो मौके पर खसरा नं. 221 एवं 222 की माठ के सहारे-सहारे छीणे रोपकर 1370 फीट लम्बा रास्ता छोड़ा हुआ है तथा वर्तमान में खसरा नं. 221 के खातेदारान् द्वारा बंद किया जाना बताया गया है। अपीलांट्स को उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 222 में सें उपलब्ध है, किंतु मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरा अपीलांट्स द्वारा खसरा नं. 221 में रास्ता बंद किये जाने पर रेस्पोडेंट्स खसरा नं. 222 में सें पगडण्डी द्वारा आवागमन कर रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा खसरा नं. 221 में छोड़े हुए रास्ते को बंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा मजबूरन खसरा नं. 222 में आवागमन किया जा रहा है। लिहाजा अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के नियम 1(1) के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं की गई तथा प्रतिकर राशि का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द नियमानुसार भू-अभिलेख निरीक्षक के स्तर के कार्मिक द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की प्रतिकर राशि की नियमानुसार गणना हेतु तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र समाप्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2021 हिमताराम व अन्य बनाम जींया इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर